भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1688

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

लागत-लाभ विश्लेषण

1688. श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री दिनिशभाई मकवाणा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री नलिन सोरेन:
श्री जुगल किशोर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर झारखंड के दुमका और जम्मू-कश्मीर के संबंध में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और महामारी पूर्व राज सहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मॉडल के बीच लागत-लाभ विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भविष्य की खाद्य सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने के लिए ऐसा कोई अध्ययन कराने का विचार है; और

(घ) पीडीएस मॉडल को अपनाने के बावजूद बिहार और छत्तीसगढ़ में खाद्य वितरण में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उक्त शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

...2/-

(क) से (ग): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। हालाँकि, एनएफएसए कार्यान्वयन की निगरानी को सुदृढ़ करने और नियमित आधार पर अधिक गहन, तीक्ष्ण और व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के दौरान एनएफएसए, 2013 के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निवारण और इच्छित लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है। इस विभाग को जब कभी किसी स्रोत से शिकायतें प्राप्त होने पर, उन्हें जाँच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है। वर्ष 2024 में, इस विभाग को 'बिहार' राज्य से संबंधित 1720 शिकायतें और 'छत्तीसगढ़' राज्य से संबंधित 69 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों को जाँच और उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया।

*****